

7. In case of any complaint followed by inquiry, it is found that medical record has not been provided at the time of discharge or on demand raised for the purpose within 72 hours, then after appropriate inquiry and show cause, the Government may de-register and seal such clinical establishments to pursue further with activities of medical care and treatment and may also impose penalty.

3- उक्त निर्देश मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.09.2014 के अनुपालन में निर्गत कि जा रहे हैं। नैदानिक स्थापनों के संचालन इत्यादि के संबंध में **Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010** (केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये साथ ही समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाये। साथ ही मा0न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त निर्देशानुसार की गयी कृत कार्यवाही की जानकारी कृपया शासन को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाये।

अरिन्दम भट्टाचार्य

विशेष सचिव।

संख्या- 4510 (1)/71-2-2014-रिट 122/14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. फैक्स/स्पीड पोस्ट -महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने एवं समस्त संबंधित को अपने स्तर से भी दिशा निर्देश निर्गत करते हुए, उक्त वाद में कृत कार्यवाही से मा0न्यायालय को मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के माध्यम से भी अवगत कराने हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, लखनऊ से संपर्क कर उक्त कार्यालय ज्ञाप तथा पूर्व कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.10.2014 को 04 अग्रणी समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में शीघ्र प्रकाशित कराकर, उक्त प्रकाशन की प्रतियां इस अनुभाग को दिनांक 12.12.2014 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. फैक्स/स्पीड पोस्ट निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
3. फैक्स/स्पीड पोस्ट निदेशक, आर0आई0एम0एस0 सैफई, इटावा।
4. फैक्स/स्पीड पोस्ट निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।
5. फैक्स/स्पीड पोस्ट कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा)
7. निदेशक, होम्योपैथी /आयुर्वेद सेवाएं/ आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) सेवाएं /यूनानी सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा0न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2014 एवं दि0 05.11.2014 के अनुपालन में उक्त आदेश (कार्यालय ज्ञाप) को 04 अग्रणी समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में शीघ्र प्रकाशित कराकर, उक्त प्रकाशन की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन के पूर्व प्रेषित कार्यालय ज्ञाप सं0 डब्लू-233/71-2-14-रिट-122 /2014, दिनांक 16.10.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा भी अनुरोध किया गया है।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
11. अनुभाग अधिकारी, आयुष-1/2 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा0न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपने स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही की जानकारी इस अनुभाग को भी उपलब्ध कराया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाये।
12. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।